

निःशुल्क

परिशिष्ट - एक

प्रारूप - 1

कन्या अभिभावक पेंशन हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

आवेदक दम्पति
का संयुक्त
फोटों

विषय :- मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना हेतु संयुक्त आवेदन-पत्र।

आवेदक दम्पति का समग्र कोड क्रमांक.....

आधार कार्ड क्रमांक.....

आवेदक दम्पति का विवरण

	दम्पति का नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि/उम्र	दूरभाष/मोबाईल नम्बर
पति				
पत्नी				

4. (अ) मूल निवास स्थान का पूर्ण पता -

पति.....

पत्नी.....

(ब) वर्तमान निवास स्थान का पूर्ण पता -

पति.....

पत्नी.....

5. परिवार का विवरण -

क्र.	परिवार के सदस्य का नाम	उम्र	मुखिया से सम्बन्ध
1.			
2.			
3.			
4.			

6. दम्पति के पुत्रियों का विवरण

क्र.	पुत्री का नाम	उम्र	विवाह होने की तिथि	विवाह किससे व कहाँ हुआ
1.				
2.				
3.				

(2)

आवेदक दम्पति का राष्ट्रीयकृत बैंक में संयुक्त बचत खाता का विवरण -

दम्पति	बैंक का नाम व पता	आई.एफ.एस.सी कोड	बैंक खाता क्रमांक
पति			
पत्नी			

संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सही है।

हस्ताक्षर पति.....

हस्ताक्षर पत्नी.....

अभिकथन

उक्त जानकारी हमारे द्वारा सही भरी गई है।

दम्पति के हस्ताक्षर

पति.....

पत्नी.....

प्रमाण पत्र एवं अनुशंसा

यह प्रमाणित किया जाता है कि दम्पति श्री/श्रीमति.....

जिनमें से श्री/श्रीमति.....ने 60 वर्ष आयु पूर्ण कर ली है और उनके द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सही है। दम्पति की निम्नांकित कन्यायें थीं जिनका विवाह हो चुका है।

- 1.
- 2.
- 3.

उक्त दम्पति आयकरदाता की श्रेणी में नहीं आता है।

उक्त दम्पति को मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना अंतर्गत पेंशन स्वीकृत करने की अनुशंसा की जाती है।

हस्ताक्षर.....

ग्राम पंचायत सरपंच/वार्ड प्रभारी

(3)

शपथ पत्र

(रु. 50/- के जुडेशियली स्टाम्प पर)

हम श्री..... पिता का नाम.....

श्रीमति..... उम्र.....

निवासी.....

जिला..... शपथपूर्वक कथन करते हैं कि

1. हम मध्यप्रदेश के मूल निवासी है।
2. हमारी उम्र 60 वर्ष से अधिक है।
3. हमारी कोई पुत्र संतान नहीं है।
4. हम आयकरदाता नहीं है।
5. हमारी निम्नांकित पुत्रियां थी जिनका विवाह हो चुका है :-

क्र.	पुत्री का नाम	विवाह होने की तिथि
1.		
2.		
3.		

हम इस योजना के अंतर्गत अन्य कोई स्थान से पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं।

उपरोक्त जानकारी हमारे ज्ञान के आधार पर सत्य और सही है। इसमें किसी तरह के असत्य जानकारी और कोई तथ्य छिपाया नहीं है। यदि कोई असत्य जानकारी पाये जाने पर हमारी पेंशन बंद कर दी जाये। हमारे द्वारा योजना के अंतर्गत प्राप्त राशि शासन को वापस कर दी जायेगी।

गवाह

1. नाम एवं हस्ताक्षर.....

हस्ताक्षर पति.....

2. नाम एवं हस्ताक्षर.....

हस्ताक्षर पत्नी.....

मैंने पढ़ा है